न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/48

1. गुलाब बाई उर्फ मनभर बाई पुत्री मगना पत्नि श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी फतेहगढ़ हाल निवास आँखखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)।
2. शांति बाई पुत्री मगना पत्नि श्री बरधा जाति मीणा निवासी फतेहगढ़ हाल निवास कचोलिया खुर्द तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. संतोष पुत्री मगना पत्नि रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)।
2. नैनी उर्फ मनभर पुत्री मगना पत्नि हेमराज जाति मीणा निवासी फतेहगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.) श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 व 02 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 10.08.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण सं0 124/दावा/2018 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट 01 व 02 के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 इस आशय का पेश किया गया कि कृषि भूमि खसरा सं0 252 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 255 रकबा 12 बिस्वा, 373 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 377 रकबा 13 बिस्वा 454/342 रकबा 5 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा चाके ग्राम फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है । जिसकी नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण/अपीलांट के पिता मगना आ0 पोखर जी ग्राम फतेहगढ़ के रहने वाले थे । मगना जी की सात फेरों से शादी प्यारीबाई से हुई थी, सात फेरो की विवाहिता पत्नी प्यारी बाई के साथ सहवास से मगना जी के एक पुत्र फोरू व दो पुत्रिया गुलाब उर्फ मनभर व शांति पैदा हुई थी जिसमें वादीनी अपीलांट के भाई फौरू की नाओलाद अविवाहित अवस्था में ही मृत्यु हो गई । मगना जी की दोनों पुत्रियो गुलाब उर्फ मनगर व शांतिबाई की मगना जी ने परवरिश की और उनकी शादी वगेरह भी मगना जी ने ही की है, वादीगण मगना जी की वैध संतानें है। वादीगण

के दादा जी पोखर वल्द कैला के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि पोखर जी के देहांत के बाद मगना के नाम विरासत में दर्ज हो गई है जबकि पोखर जी की वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से अधिकार निहित है । वादग्रस्त भूमि पोखर जी से विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई है । पोखर जी की वादग्रस्त भूमि में वादीगण का बाई बर्थ राइट है। पोखर जी की मृत्यु के बाद मगना जी ने तथ्य छुपा कर पोखर जी के स्थान पर स्वयं के नाम ही विरासत का नामान्तकरण दर्ज करा लिया जबकि मगना जी का उक्त भूमि में मात्र 1/3 हिस्सा ही था। वादग्रस्त भूमि में मगना जी के पुत्र फौरू की मृत्यु के उपरांत वादीगण व मगना का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है, लेकिन मगना जी के नाम उक्त वादग्रस्त संपूर्ण भूमि विरासत के नामान्तकरण से उनके नाम दर्ज हो गयी है जबकि नामान्तकरण से कोई स्वत्वों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तकरण एक फिसकल कार्यवाही है। हितो का निर्धारण रेगुलर वाद में ही तय होता है इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्से की कानूनन खातेदार है। वादीगण को वाद ग्रस्त भूमि में दोनों को संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है। वादीगण के पिता मगना ने वादीगण की माता प्यारी बाई को तलाक दिये बिना अवेध रूप से मथरी नामक महिला को अपने साथ रखेल के रूप में रखली जिससे मथरी बाई के प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट संतोष व नैनी पैदा हुई है। नैनी को गांव में मनभर के नाम से भी जानते है एवं पुकारते हैं। प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट संतोष व नैनी मगना की वेध संतान नहीं है। पोखर जी की संपति में उक्त संतोष व नैनी उर्फ मनभर का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण के पिता मगना द्वारा वादी गुलाब उर्फ मनभर की शादी आंखखेडी करने व शांति की शादी कचोलिया खुर्द तहसील मांडलगढ करने से वादीगण अक्सर अपने ससुराल रहती है और वहीं से समय समय पर अपने पिता की देखभाल करने आती थी और वादग्रस्त भूमि पर काश्त की व्यवस्था करवाती थी। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से निरंतर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है वादीगण भूमि पर जुवारे पर भी काश्त करवाती तथा आधोली से भी काश्त करवाती है। वादीगण के पिता की आयु लगभग 75–80 वर्ष की हो गयी थी और शरीर से काफी कमजोर हो गये थे मृत्यु के एक माह पहले से ही उनकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई थी और बोलने व चलने फिरने में और सुनने में असमर्थ हो गये थे और शारीरिक व मानसिक रूप से अपनी सुध–बुद्ध खोने के उपरांत 06.07.2014 को वादीगण के पिता की मृत्यु हो गयी। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण ने मृत्यु उपरांत किये जाने वाले संपूर्ण क्रियाकर्म के कार्य किये है इस प्रकार वादीगण अपने दादाजी श्री पोखर जी से विरासत में प्राप्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की जानकारी में निरंतर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही है। इस वर्ष बारिश कम होने से वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर खरीफ की फसल में तिल्ली की फसल स्वयं ने ही बुवायी थी लेकिन पानी की कमी के कारण तिल्ली की फसल नष्ट हो गई और वादीगण दिनांक 15.09.2018 को वादग्रस्त भूमि को सावणा लगवाने के लिए व रबि की फसल की तैयारी के वास्ते ग्राम फतेहगढ़ आयी और भूमि को हकवाने हेतु ट्रेक्टर लेकर गयी जहां पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपने पतियों को लेकर भूमि पर आ गयी और वादीगण को धमकी दी कि यह भूमि हमने मगना से हमारे नाम बख्शीश करवा रखी है। अब भूमि हमारे नाम दर्ज हो चुकी है। भूमि पर तुम्हे खेती नहीं करने देंगे और हम जबरन कब्जा करेंगे और आडे फिरोगे तो जान से मारेगे। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि मगना जी से अपने नाम बख्शीश करवाने व भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवा लेने की धमकी दिनांक 15.09.2018 को देने पर वादीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर जमीन की नकल निकलवाई तब वादीगण को वादग्रस्त

भूमि प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज करवा लेने की प्रथम बार जानकारी हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण को अपने दादा पोखर जी से विरासत में प्राप्त होने से वादग्रस्त भूमि मगना जी की स्वअर्जित भूमि नहीं होने से मगना जी को वादग्रस्त भूमि बख्शीश करने का कोई हक व अधिकार नहीं था । इस प्रकार मगना जी के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में करवाया गया बख्शीश नामा वादीगण के विरूध निष्प्रभावी एवं शून्य है। प्रतिवादीगण को मगना द्वारा करवाये गये बख्शीश से कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। वादीगण मगना जी की वेध विवाहिता पत्नी की संताने होने व वादग्रस्त भूमि अपने दादा श्री पोखर जी से वादीगण को विरासत में प्राप्त होने से वादीगण कानूनन वादग्रस्त भूमि की खातेदार बन चुकी है वादग्रस्त भूमि पर अपने पिता के जीवन काल से व प्रतिवादीगण की जानकारी में निरंतर निर्बाध रूप से काबिज चले आने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जा मुखालफाना के आधार से भी खातेदार बन चुकी है। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त भूमि पर अपने को खातेदार घोषित करवाने एवं वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वर्तमान अंकन व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम को विलोपित करवाने एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने व भूमि पर जबरन फसल नहीं बोने व भूमि को रहन, बेचान कर खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2021 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.09.2021 के अंतर्गत दिया गया आदेश निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक ने आदेश दिनांक 01–09–2021 की जानकारी नही दी जबकि अभिभाषक महोदय ने अपीलांटस् से कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा, हर पेशी पर पक्षकारान् के न्यायालय में उपस्थिति होने की आवश्यकता नही रहती है। इस कारण प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पेशी पर नही गये। दिनांक 04–01–2022

को हिम्डोली आकर तलाश किया तो जानकारी हुयी कि प्रार्थीगण का वाद दिनांक 01–09–2021 को ही खारिज कर दिया गया है। उक्त तिथि को ही अपीलांटस् ने नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 03–01–2022 को नकल आदेश प्राप्त हुयी। इस प्रकार जानकारी की तिथि दिनांक 04–01–2022 से अपील अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत है फिर भी यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुति में विलम्ब माना जाये तो विलम्ब क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 नियाद अधिनियम पृथक से मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुति में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस् अपील का निस्तारण गुणादगुण के आधार पर करवाना चाहते है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने विलंब अवधि को क्षम्य करते हुए धारा 05 नियाद अधिनियम स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट ने धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र पर कोई जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील नियाद बाहर होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 नियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रकरण में सम्पत्ति सम्बंधी मूल विवाद को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय नियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर नियाद दुमार की जाती है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01–09–2021 वस्तुस्थिति, विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही कर दूषित आदेश दिनांक 01–09–2021 पारित कर त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कृषि भूमि के बाबत् अधिकार घोषणा का वाद केवल मात्र राजस्व न्यायालय के ही श्रवण योग्य है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01–09–2021 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादीगण अपीलांटस् द्वारा वाद पत्र में ही इस तथ्य को अंकित किया है कि मगना जी मृत्यु के एक माह पहले से ही सोचने समझने की स्थिति में नही थी, बोलने, चलने फिरने एवं सुनने में असमर्थ हो गये थे। शारिरिक व मानसिक रूप से अपनी सुध बुध खोने के उपरांत दिनांक 08–07–2014 को वादीगण के पिता मगना जी का देहांत हुआ है। वादीगण का विवादित भूमि में जन्म से ही अधिकार है। तथाकथित बक्शीशनामा से प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। बक्शीशनामा वादीगण के हितो के विरूद्ध होने से निष्प्रभावी एवं शून्य है। उक्त तथ्य साक्ष्य उभयपक्ष प्रस्तुत होने के उपरांत ही निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य दर्ज किये ही वाद वादीगण खारिज करके त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य उभयपक्ष दर्ज कर निर्णय पारित करना चाहिए था, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01–09–2021 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि तथाकथित बक्शीशनामा दिनांक 16–06–2014 अपीलांटस् वादीगण के हितो के विरुद्ध होने से निष्प्रभावी एवं शून्य है। ऐसी स्थिति में शून्य प्रभावी बक्शीशनामे को किसी भी न्यायालय से शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता नही है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–09–2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2014 RRD PAGE NO–162 उद्धृत

करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत अधिकार घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के पूर्वजो की पुश्तैनी है जबकि रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वादग्रस्त भूमि अपीलांट की पुश्तैनी होने एवं अपीलांटस् / वादी के पूर्वज मगना होने से इन्कार किया है, जो तथ्य का प्रश्न है। साक्ष्य से प्रमाणित होना है। अपीलांट एवं रेस्पो० अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। अपीलांटस् ने उनके पिता मगना के जीवनकाल में अपना अधिकार वादग्रस्त भूमि में मगना से नही मांगा है बल्कि अपीलांटस के पिता मगना की मृत्यु के बाद अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। स्वर्गीय मगना के कोई पुरूष उत्तराधिकारी नही है तथा स्वर्गीय श्री मगना की कोई विधवा भी जीवित नही है। इस कारण पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार मगना की कृषि भूमि उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। वादी एवं प्रतिवादी मे से कौन स्वर्गीय मगना का उत्तराधिकारी है ? यह प्रश्न दोनो पक्षो की साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद ही न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। इसी भूमि के बाबत अधिकार घोषणा का बाद मात्र राजस्व न्यायालय में विचारण योग्य है। कोई भी कानून कृषि भूमि के अधिकार घोषणा के बाद को राजस्व न्यायालय के विचारण से प्रतिबंधित नही करता है। अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2019 DNJ (SUPREME COURT) PAGE NO. 115 उद्धृत करते हुए कथन किया कि अपीलांट वादी ने रेस्पो० प्रतिवादी स्वर्गीय मगना की अवैध संतान होने का कथन किया है, जो साक्ष्य से प्रमाणित होना है। अपीलांट ने वाद पत्र की चरण संख्या 7 में स्पष्ट कथन किया है कि मगना जी वृद्ध थे तथा मृत्यु के लगभग एक माह पूर्व से उनकी सोचने समझने की क्षमता हो गयी थी। दिनांक 06.07.2014 को उनकी मृत्यु हो गयी तथा उक्त स्थिति में मगना जी द्वारा निष्पादित बक्शीशनामा वादीगण के विरूद्ध निष्प्रभावी एवं शून्य होने का वाद पत्र में कथन किया है। इस कारण शून्य प्रभावी बक्शीशनामा दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है। मृत्यु के एक माह पूर्व से स्वर्गीय श्री मगना की शारिरिक एवं मानसिक स्थिति के बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरांत ही इस तथ्य का निर्णय किया जाना है। अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2003 AIR (SUPREME COURT) PAGE NO. 759 2010 AIR (RAJASTHAN) PAGE NO. 12 उद्धृत करते हुए कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में यही मत व्यक्त किया गया है कि कृषि भूमि के बाबत् निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने के बजाये पक्षकार को राजस्व न्यायालय ने अपना हिस्सा घोषित करवाने का निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है तथा दीवानी न्यायालय का वाद जो की पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने के बाबत प्रस्तुत किया गया था, इस वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त विनिर्णय के तथ्य अपीलांटस् के वाद को राजस्व न्यायालय में विचारण किये जाने की शक्ति देते है। आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय केवल मात्र वाद पत्रो के कथनो का अवलोकन करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये है। जवाब दावा एवं प्रतिवादी के कथन उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु आवश्यक नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2020 AIR (N.O.C) (BOMBAY) 768 उद्धृत करते हुए कथन किया कि कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में मत व्यक्त किया गया है कि In absence of any specific bar to constitution of suit plaint can not be rejected. वादी ने वाद कारण मगना की मृत्यु दिनांक 06.07.2014 के चार वर्ष उपरांत दिनांक 15.09.2018 को उत्पन्न होने का कथन किया है। इस कारण मगना जी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रीयो को अधिकार घोषणा वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत राजस्व न्यायालय से ही करवाने का अधिकार है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलांटस् बून्दी से दूर निवास करते है।

अपीलांटस् के वकील साहब ने अधीनस्थ न्यायालय में कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा। इस कारण अपीलाटस् महिला होने से नियमित रूप से पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में नही आते थे। दिनांक 04.01.2022 को जब अपीलांटस् हिण्डोली गये तो अपीलांटस् को जानकारी हुयी कि दिनांक 01.09.2021 को वाद खारिज कर दिया गया है। अपीलांटस् ने तुरंत नकल हेतु आवेदन किया तथा आदेश की नकल दिनांक 07.01.2022 को प्राप्त हुयी । इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत है। अपीलांटस् ने उक्त तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण अपील प्रस्तुति में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य है। रेस्पो0 ने वक्त बहस देरी बाबत् आक्षेप नही लिया है। इस कारण भी अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि पूर्वज पोखर के राजस्व रिकॉर्ड की कोई जमाबंदी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। मुख्यतः यह भूमि मगना की है तथा मगना ने पंजीबद्ध बख्शीशनामा से हमें सम्पत्ति दी। इनके वाद में दो दो आधार है– भूमि पैतृक है तथा वारिस होने से इनके अधिकार प्रश्नगत भूमि में है। परन्तु यह विधिक स्थिति है कि मीणा जनजाति पर ओल्ड हिन्दु लॉ लागू होता है तथा ओल्ड हिन्दु लॉ में जन्म से बेटे को ही अधिकार होते है तथा पुत्रियों को अधिकार नहीं होते। मीणा जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता। मगना विवादित भूमि का एकमात्र मालिक है। प्रस्तुत प्रकरण में ये क्या साक्ष्य देंगे जब मीणा जनजाति में पुत्रियों को इस तरह के कोई अधिकार ही नहीं है। पक्षकारान मीणा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता तथा पुत्रियों को पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पिति पर जन्मजात अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत प्रकरण में पैतृक सम्पति होना प्रमाणित भी नहीं हैं। मगना पुत्र पोखर ने कृषि भूमि का बख्शीशनामा अपनी पुत्रियों के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया। मगना के पुत्र संतान नहीं है। अपीलांट वादीगण में स्वयं को भी पुत्रियां मगना प्रकट करते हुए पिता द्वारा किये गये पंजीकृत बख्शीशनामे को चुनौती दी हैं। जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। पिता द्वारा निष्पादित बख्शीशनामा Voidable है। जिसे व्यवहार न्यायालय से ही निर्णित करवाया जा सकता है। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर. डी. 1984 पेज नं0 873–877 पेश किया। अंत में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में फोटो कोपी बख्शीशनामा दिनांक 06.10.1967 के अनुसार पोखर आ0 कैल्या जाति मीणा के द्वारा मौजा फतहगढ़ की खसरा नं0 200 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 202/2 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 204 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 291 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अन्य सम्पतियों के साथ मगना वल्द अणदा मीणा के पक्ष में आलेखित है। पंजीकृत्त बख्शीशनामा दिनांक 16.06.2014 से मगना पिता पोखर मीणा के द्वारा स्वयं के शामलाती खाते की भूमि ग्राम फतहगढ़ खसरा नं0 252 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 255

रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 273 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 377 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 454/342 रकबा 5 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि तथा खसरा नं0 227 रकबा 4 बिस्वा गै. मु. चाह में हिस्सा 5/24 स्थित है। उक्त भूमि का संपूर्ण हिस्सा 5/24 अपनी पुत्रियों संतोष बाई पत्नी रामदेव तथा मनभर बाई पत्नी हेमराज के पक्ष में हिस्सा बराबर में बख्शीश आलेखित की गई है। , भू आवंटन आवेदन पत्र तथा भू आवंटन आदेश दिनांक 13.06.1987 के अनुसार खसरा नं0 342 रकबा 05 बीघा भूमि ग्राम फतहगढ़ मगना आत्मज पोखर को भू आवंटन की गई है। दखलनामा दिनांक 11.01.1988 के अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी को दखल दिया गया है। उक्त दखलनामें पर नामांतरकरण सं0 58 दिनांक 20.06.1989 से गैर खातेदार होना अंकित है। भू प्रबंध विभाग के पर्चा लगान दिनांक 27.10.1952 के अनुसार खसरा नं0 352 की 02 बीघा 03 बिस्वा 377 की 13 बिस्वा, 255 की 12 बिस्वा, 373 की 1 बीघा 8 बिस्वा कुल 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि पोखर कैला मीणा सा. देह खातेदार अंकित है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028–2047 के अनुसार गत खसरा नं0 200, 204, 247 मि., 286, 202/2 के नवीन खसरा नं0 कमशः 252 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 255 रकबा 12 बिस्वा, 342 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, 373 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व 377 रकबा 13 बिस्वा बने है। सत्यापित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार कुल किता 05 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा मगना पि. पोखर कौम मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा टिप्पणी के कॉलम में नामांतरकरण सं 4176 दिनांक 21.07.2014 से बख्शीशनामा से संतोष बाई मनभर बाई पुत्री मगना हि0 ब0 कौम मीणा सा. देह का अंकन स्वीकार है, अंकित है। भू प्रबंध जमाबंदी संवत् 2028–2047 के अनुसार कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि पोखर वल्द कैल्या कौम मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.09.2021 में यह निष्कर्ष अंकित किया है कि, "प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित भूमियों के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि मगना द्वारा दिनांक 16.06.2014 को खातेदार मगना द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीश किये जाने से प्राप्त हुई है। वादीगण उक्त रजिस्टर्ड बक्शीशनामें को निरस्त कराये बिना ही मगना की भूमियों में अधिकार घोषणा चाहते है। उक्त रजिस्टर्ड बक्शीशनामें को निरस्त कराये बिना वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। आवश्यक रूप से ऐसा दावा जिसमें मांगा गया अनुतोष बिना रजिस्टर्ड बक्शीशनामें को निरस्त कराये बिना दिया ही नहीं जा सकता हो ऐसे केस को अभिवचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का खारिज करके निरन्तर रखना न्यायालय अर्थहीन समझता है। क्योंकि अन्त में जाकर यह अनुतोष बिना रजिस्टर्ड बक्शीशनामा निरस्त कराये यह न्यायालय दे नहीं सकता। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय 2012(1) RLW PAGE 423, AIR 1971 S.C. PAGE NO. 776 व 1979 RLW PAGE 220 प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.2018 को संस्थित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2019 को जवाबदावा भी प्रस्तुत कर दिया। दावा एवं जवाबदावा के प्रस्तुत होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में 7 तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विरचित 7 विवाद्यक बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इसमें कोई भी ऐसा विवाद्यक बिन्दु विरचित नहीं है कि, "आया वादी द्वारा मांगा गया अनुतोष बिना रजिस्टर्ड बक्शीशनामा निरस्त करवाए राजस्व न्यायालय प्रदान नहीं कर सकता।"अर्थात राजस्व

न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बंध में कोई तनकी विरचित नहीं की गई। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मांगा गया अनुतोष इस प्रकार है, "कृषि भूमि खसरा संख्या 252, 255, 373, 377, 454/342 कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम फतेहगढ़ पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जे में दखलंदाजी नहीं करने, भूमि पर जबरन फसल नहीं बोने, कब्जा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विकल्प में यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर से वादीगण को बेदखल कर दे तो इसी वाद में प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।" इससे प्रतीत होता है कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत है। इस सम्बंध में हमने आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन भी किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि बिना रजिस्टर्ड बक्शीशनामा निरस्त करवाए वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। अर्थात यह प्रतीत होता है जब तक रजिस्टर्ड बक्शीशनामा अस्तित्व में है तब तक अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत वाद को स्वयं के क्षेत्राधिकार से परे माना तथा वादी के वांछित अनुतोष को प्रदान करने में असमर्थता प्रकट की है। इस सम्बंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान 207 का अवलोकन करना उचित होगा जो इस प्रकार है, "केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रार्थना–पत्र–(1) तृतीय अनुसूचि में निर्दिष्ट प्रकार के सभी वाद तथा प्रार्थना–पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जायेगा। (2) राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या प्रार्थना–पत्र की अथवा किसी वाद के उक्त कारण जिसके सम्बंध में उक्त किसी वाद या आवेदन–पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो, पर आधारित किसी वाद या आवेदन–पत्र की सुनवाई नहीं करेगा। स्पष्टीकरण– अगर वाद का कारण ऐसा हो जिसके सम्बंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायत प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि दिवानी न्यायालय से मांगी गई सहायता से अधिक या उसके अतिरिक्त है, अथवा उसके तद्रूप नहीं है जो राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रदान की जा सकती थी।" हमारे मत में वादीगण ने अनुतोष में रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के निरस्तीकरण का अनुतोष नहीं चाहा बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों धारा 88, 89, 188 के तहत अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह समझने में भूल की है कि उसे रजिस्टर्ड बख्शीशनामा की वैधता को निर्णित करना है। रजिस्टर्ड बख्शीशनामा की वैधता अथवा निरस्तीकरण के सम्बंध में कोई विवाद्यक बिन्दु भी विरचित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि वादी द्वारा जो अनुतोष वाद में चाहा गया है उसे प्रदान करने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व न्यायालय को है। मूल प्रश्न खातेदारी घोषणा का है, अन्य प्रश्न आनुषांगिक हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार के सम्बंध में व्याख्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के प्रकाश में करनी चाहिए थी। अतः हमारे मत में राजस्व न्यायालय वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष को देखते हुए हस्तगत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार रखता है। अपील में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने ओल्ड हिन्दु लॉ, पैतृक सम्पत्ति, अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों के अधिकार, भूमि की प्रकृति, मगना जी के सही उत्तराधिकारियों को लेकर अपना–अपना पक्ष एवं विधिक व्याख्या मय न्यायिक दृष्टांत

प्रस्तुत किए है। हमारे मत में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा उठाए गए प्रश्नों का निर्धारण उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही अंतिम रूप से निर्णित किए जा सकते है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था तथा विवाद्यक बिन्दु विरचित किए जा चुके थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य आदि लेकर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, इस पर भी प्रकरण में प्रथम तनकी विरचित कर निर्णित किया जा सकता था। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम होने के पश्चात् रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के निरस्तीकरण के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए था। वादी द्वारा वाद में जो अनुतोष मांगा गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.09.2021 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 31.08.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा